



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 अगस्त, 2006 ई0
श्रावण 19, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-9

संख्या 250/XXVII(9)/स्टाम्प/2006
देहरादून, 10 अगस्त, 2006

अधिसूचना

प0 आ0-86

राज्यपाल, (समय-समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड, उत्तरांचल को कालादूंगी रोड, हल्द्वानी में "दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र" के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि (0.63 हेक्टेयर) पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रु0 53,000.00 (रु0 तिरपन हजार मात्र) तक की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 250/XXVII(9)/Stamp/2006, dated August 10, 2006 for general information:

No.250/XXVII(9)/Stamp/2006
Dated Dehradun, August 10, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time), the Governor is pleased to remit the stamp duty on the Forest land (0.63 Hectares) allotted to National Association for the Blind, Uttaranchal for the construction of "Residential School and Vocational Training Centre for the Blind" at Kaladungi Road, Haldwani upto Rs. 53,000.00 (Rupees Fifty Three Thousand only)

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Pramukh Sachiv.